

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

ब इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

भारतकुमार पुत्र मनोहरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बिसाऊ, जिला झुन्झुनू (राज.)

-वादी-

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी बिसाऊ, जिला झुन्झुनू (राज.)
2. फर्म बोथरा पोलई फेब्रिक्स प्रा० लि० रिंग रोड़, 111 जीवनदीप, सूरत जरिये निदेशक सौरव गाड़िया पुत्र श्री विनोदकुमार जाति अग्रवाल निवासी सूरत
3. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक, चूरु
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरु

-प्रतिवादीगण-


दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.


मुकदमा नं. 09 सन् 2019



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री रामकिशन शर्मा एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री दिलीप पोददार, श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित व श्री मंगलसिंह एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 44 तादादी 5.3747 हैक्टेयर व खसरा संख्या 56 तादादी 1.4796 हैक्टेयर कुल तादादी 6.8543 हैक्टेयर रोही ग्राम बालरासर तंवरान में से वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाता व लगान अलग-अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म भूमि
1.	भारतकुमार पुत्र मनोहरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बिसाऊ खातेदार राहिन आई.सी.आई.सी. आई. बैंक लि. शाखा चूरु	44 मि.	1.9583	बारानी
2.	फर्म बोथरा पोलई फेब्रिक्स प्रा. लि. रिंग रोड़ 111, जीवनदीप, सूरत जरिये निदेशक सौरव गाड़िया पुत्र विनोदकुमार जाति अग्रवाल निवासी सूरत, मोहनलाल पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी बिसाऊ जिला झुन्झुनू हाल निवासी मुम्बई खातेदार	44 मि. 56 किता-2	3.4164 	बारानी बारानी बारानी


उपखण्ड अधिकारी

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तुत नक्शा ट्रेस भविष्य में डिक्री का भाग रहेगा। जिन खातेदारों का हिस्सा बैंकों के रहन दर्ज है, वह यथावत रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरु डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें एवं नक्शे में तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01 माह अप्रेल सन् 2021 को जारी की गई।



(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी, चूरु

उपखण्ड अधिकारी

चूरु